राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ0राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, ब्लॉक संख्या 8जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक :–प.5(53)निभापुवि/जय/टं.प./आशु.प्र./2019/3302-3462 दिनांक :– 9/9/19

परिपत्र

विषयः–हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण कक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक कर्मचारियों के नाम अग्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

कार्मिकों को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित करने हेतु भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा 10 माह का निःशुल्क हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण के लिए राजकीय विभागों में कार्यरत अंग्रेजी आशुलिपिक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक अथवा कनिष्ठ सहायक पद की योग्यताधारी समस्त कर्मचारी जिन्हें हिन्दी का ज्ञान हो, पात्र है।

प्रशिक्षण कक्षाएं माह **नवम्बर,2019** से प्रारंभ होगी। प्रशिक्षण कक्षा का समय पूर्वान्ह 10.00 से 11.00 बजे तक का रहेगा।

अतः आपके विभाग/कार्यालय में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो हिन्दी आशुलिपि सीखने के इच्छुक हो, से आवेदन (फोटो प्रमाणीकरण एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र (पृष्टाकिंत) प्राप्त कर इस विभाग को दिनांक **30 सितम्बर, 2019** तक अग्रेषित करने का कष्ट करें।

(विष्णु कुमार गोयल)
निदेशक एवं पदेन
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल सचिवालय,जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (जयपुर स्थित)।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार शासन सचिवालय,जयपुर।
6. सचिव,राजस्थान विधानसभा,जयपुर।
7. सचिव,लोकायुक्त,राजस्थान,जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त,जयपुर।
9. जिला कलक्टर,जयपुर।
10. महानिरीक्षक,पुलिस मुख्यालय,जयपुर।
11. शिविरा पत्रिका।
12. श्री महेश कुमार कुमावत (कम्प्यूटर सैल),विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करे।

ममता शर्मा
(डॉ. ममता शर्मा)
उप निदेशक(अनु0)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... पद ....कार्यालय .... भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा प्रात : 10.00 से 11.00 बजे तक आयोजित हिन्दी शीघ्रलिपि प्रशिक्षण कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहूंगा/रहूंगी तथा शीघ्रलिपि परीक्षा में आवश्यक रूप से सम्मिलित होऊंगा/होऊंगी। अनुपस्थित रहने तथा प्रशिक्षण कक्षा में कुल उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहने पर भविष्य में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा आयोजित होने वाली आशुलिपि प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए पात्र नहीं रहूंगा/रहूंगी।

कर्मचारी का फोटो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित मय मोहर (फोटो चिपका हुआ हो,स्टेपलमान्य नहीं)

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम...

पदनाम ....

पदस्थापन स्थान ....

मो0नं0...